

सीताराम वगै० बनाम भागोती वगै०

वाद संख्या 132/2021

25/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2022 की पालना में तहसीलदार नीलकाथाना द्वारा पक्षकारान/



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से हम सन्तुष्ट है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. /2022/6554 दिनांक 09.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)